आदेश

अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली के पत्रांक 2092/8सी दिनांक 17-12-2021 के द्वारा जनपद नैनीताल में कसियालेख-धारी-परवड़ा मोटर मार्ग को धारी ब्लाक मुख्यालय से कौल-धनाचूली होते हुए मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि वन विभाग को प्रत्यावर्तित करने का निवेदन किया गया है।

उपरोक्त में उपजिलाधिकारी धारी द्वारा अपने पत्रांक 330/अहलमद/भूमि चयन/2015-16 दिनांक 03-03-2016 के द्वारा जनपद नैनीताल में कसियालेख-धारी-परवड़ा मोटर मार्ग को धारी ब्लाक मुख्यालय से कौल-धनाचूली होते हुए मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम अधौड़ा के नॉन0ज्येड0ए0 खाता नं0 57 के खसरा नं0-4346 मध्ये रकवा 3.485 है0 भूमि जो नॉन0ज्येड0ए0 खतौनी के श्रेणी 9(3)ड0 में राज्य सरकार के नाम दर्ज है, प्रस्तावित की गयी है।

अतः उपजिलाधिकारी, धारी की उपरोक्त आख्या एवं **शासनादेश संख्या 2096** XVIII(II)/2012-18 (120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 व शासनादेश संख्या 111/XXVII(7)50(39)-2015 दिनांक 09.07.2015 व राजस्व विभाग के शासनदेश संख्या 2173/XVIII(II)/2012-18 (120)दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 व .शासनादेश संख्या 1887/ XVIII(II)/2015 दिनांक 30.07.2015 व **राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या 2096** XVIII(II)/2012-18 (120) दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के कम में जनपद नैनीताल में कसियालेख-धारी-परवड़ा मोटर मार्ग को धारी ब्लांक मुख्यालय से कौल-धनाचूली होते हुए मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम अधौड़ा के नॉन0ज्येड0ए0 खाता नं0 57 के खसरा नं0-4346 मध्ये रकवा 3.485 है0 भूमि जो नॉन0ज्येड0ए0 खतौनी के श्रेणी 9(3)ड0 में राज्य सरकार के नाम दर्ज है, को वन विभाग के नाम निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार धारी तद्नुसार ही राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति याचक विभाग वन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग जनपद नैनीताल को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

1- भूमि पर कोई धार्मिक महत्व की ईमारत न हो।

2- जिस परियोजना के लिये भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिये शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।

3- हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग की जाय तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4- यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिये उपयोग में नही लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

5- जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उसे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नही की जायेगी।

6- जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7- प्रश्नगत भूमि वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

8- यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि अथवा भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

कमश.....02/-

Scanned with CamScanner

9— प्रश्नगत भूमि आवंटन के पूर्व उत्तराखण्ड/उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भू–व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

10— इस सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या 1132/2011 (एस0एल0पी0)/(सी0) संख्या 3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम् पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य शर्त निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11— आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या 01 से 10 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

ह0/–
जिलाधिकारी,
नैनीताल।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल।

पत्र संख्या1379/12–ज्येड0ए0सी0/2021–22 दिनांक 05, जनवरी, 2022

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल
2— अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली।
2— उपजिलाधिकारी, धारी।
3— तहसीलदार, धारी।

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी,
नैनीताल।

AE II / JE(M) / Amin
5/1/2022